



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना देहात

दिनांक 30.09.2025

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 216/2025 धारा 64(1)/351(2)/332(b) बीएनएस संबंधित अभियुक्त किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.09.2025 को वादिया द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम रतुपुरा थाना नगीना देहात जिला बिजनौर द्वारा उसके साथ गलत कार्य किया गया तथा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गयी ।

इस संबंध में सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 216/2025 धारा 64(1)/351(2)/332(b) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

आज दिनांक 30.09.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में से संबंधित अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम रतुपुरा थाना नगीना देहात जिला बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का विवरण -

अंकित कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम रतुपुरा थाना नगीना देहात जिला बिजनौर

पुलिस टीम -

- 1.प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 मिलाप सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 3.हे0का0 96 अर्जुन सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 4.हे0का0 149 चन्द्रप्रभात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नहतौर**

दिनांक 30.09.2025

थाना नहतौर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर मा० मुख्यमंत्री जी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 30.09.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर अभियुक्त मुजम्मिल पुत्र मौ० इजलाल नि० मौ० तकियागढी पूर्वी कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी से मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० के फोटो को आपत्तिजनक तरीके से एडिट कर पोस्ट की गयी। उक्त पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०स० 278/2025 धारा 270/302 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 30.09.2025 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त मुजम्मिल पुत्र मौ० इजलाल नि० मौ० तकियागढी पूर्वी कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

मुजम्मिल पुत्र मौ० इजलाल नि० मौ० तकियागढी पूर्वी कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ०नि० श्री भारत सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.हे०का० 131 शरदल पंवार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.का० 695 नवीन कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना चांदपुर

दिनांक 30.09.2025

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 496/2025 धारा 78(2)/64(1)/115(2)/ 351(3)
बीएनएस संबंधित अभियुक्त किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.09.2025 को वादी द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रिजवान पुत्र महमूद निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जिला बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया तथा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गयी तथा अभियुक्त रिजवान द्वारा अपने साथी रिहान व एक अन्य के साथ मिलकर वादी की बड़ी पुत्री के मगैतर को फोन कर जान से मारने की धमकी दी गयी ।



इस संबंध में सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 496/2025 धारा 78(2)/64(1)/115(2)/ 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 29.09.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में से संबंधित अभियुक्त रिजवान पुत्र महमूद निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का विवरण -

रिजवान पुत्र महमूद निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

पुलिस टीम -

- 1.प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 अब्दुल कादिर थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 3.का0 865 धनसिंह थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 4.का0 1095 गजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर बिजनौर ।